

//1//

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :-देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 164/2024

उनवान

सरपंच ग्राम पंचायत श्रीनगर, जिला अजमेर

—प्रार्थी :-जरियें अधिवक्ता श्री महेश मेहरा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

—अप्रार्थीगण :- 1 जरियें राज. पैरोकार
2 जरियें अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956



—: आदेश :-

दिनांक :- 28/3/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के वंकिंग खसरा नम्बर 4060 रकबा 81-1-10 आबादी व 4061 रकबा 51-2 आबादी के वर्तमान खसरा नम्बर 3244 मि. रकबा 8.18 बने हैं। जिनके नामान्तरण संख्या 749 दिनांक 27.11.2004 से हाल खसरा नम्बर 3244 का रकबा 13.37 के बजाय 21.28 है होना स्वीकार हुआ। हाल खसरा नम्बर 3244 रकबा 21.28 में से नामान्तरण संख्या 864 दिनांक 20.12.10 केआवंटन से 0.81 है. भूमि कस्तूरबा गांधी विधालय छात्रावास हेतु अंकन स्वीकार हुआ। वंकिंग खसरा नम्बर 3086 रकबा 12-5-2 के हाल खसरा नम्बर 4188 रकबा 2.00 आबादी दर्ज है। वंकिंग खसरा नम्बर 4060 व 4061 को मिला कर हाल खसरा नम्बर 3244 रकबा 21.28 व वंकिंग खसरा नम्बर 3086 के हाल खसरा नम्बर 4188 रकबा 2.00 गै.मु. आबादी दर्ज है। उक्त वंकिंग खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 3244 व 4188 का हाल राजस्व मानचित्र मिलान नहीं होता है। वर्तमान नक्शा में पैमाईश करने पर वर्तमान खसरा का श्रेत्रफल नहीं बनाता है। हाल खसरा नम्बर 3244 व 4188 में पुरापी आबादी बसी है। काफी लोगो को पूर्व में मकान के पटटे दिये हैं। वर्तमान में पटटे हेतु कई आवेदन प्राप्त है किन्तु नक्शा दुरुस्ती बिना कार्यवाही संभव नहीं है। अतः हाल राजस्व मानचित्र दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 3244 व 4188 के वर्तमान नक्शे में पुराने राजस्व नक्शे के खसरा नम्बर 4060, 4061 व 3086 के अनुसार नक्शों में दुरुस्ती किया जाना उचित है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि को बिना नुकसान किये नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही करने की कृपा



—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के वंकिंग खसरा नम्बर 4060 रकबा 81-1-10 आबादी व 4061 रकबा 51-2 आबादी के वर्तमान खसरा नम्बर 3244 मि. रकबा 8.18 बने है। जिनके नामान्तकरण संख्या 749 दिनांक 27.11.2004 से हाल खसरा नम्बर 3244 का रकबा 13.37 के बजाय 21.28 है होना स्वीकार हुआ। हाल खसरा नम्बर 3244 रकबा 21.28 में से नामान्तकरण संख्या 864 दिनांक 20.12.10 केआवंटन से 0.81 है. भूमि कस्तूरबा गांधी विधालय छात्रावास हेतु अंकन स्वीकार हुआ। वंकिंग खसरा नम्बर 3086 रकबा 12-5-2 के हाल खसरा नम्बर 4188 रकबा 2.00 आबादी दर्ज है। वंकिंग खसरा नम्बर 4060 व 4061 को मिला कर हाल खसरा नम्बर 3244 रकबा 21.28 व वंकिंग खसरा नम्बर 3086 के हाल खसरा नम्बर 4188 रकबा 2.00 गै.मु. आबादी दर्ज है। उक्त वंकिंग खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 3244 व 4188 का हाल राजस्व मानचित्र मिलान नहीं होता है। हाल खसरा नम्बर 3244 व 4188 में पुरापी आबादी बसी है। काफी लोगो को पूर्व में मकान के पटटे दिये है। वर्तमान में पटटे हेतु कई आवेदन प्राप्त है किन्तु नक्शा दुरुस्ती बिना कार्यवाही संभव नहीं है। राज. पैरोकार के जवाब से भी हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। आराजी मुतनाजा के वंकिंग व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन व तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने भी वाद का खण्डन नहीं किया हैं आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र को दुरुस्त करने से खातेदारी अधिकार व भूमि के रकबे पर कोई परिवर्तन नहीं होना है। राजस्व मानचित्र दुरुस्त करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से प्रार्थना के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम श्रीनगर के वंकिंग खसरा नम्बर 4060, 4061, 3086 के हाल खसरा नम्बर 3244 रकबा 21.28, 4188 रकबा 2.00 के हाल व वंकिंग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरुस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

